

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**  
**अधिसूचना**

नया रायपुर, दिनांक 26/05/2015

क्रमांक एफ 10-8/2015/16 :- राज्य शासन एतद्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-8/2012/16, दिनांक 23.04.2012 को अतिक्रमित करते हुये असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(k) एवम 2(n) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु आय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

“रु0 66,000:00 (रूपये छैंसठ हजार) तक वार्षिक आय वाले कर्मकार अथवा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिये समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन दर तक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले कर्मकार”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अब्बास खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक /05/2015

पृष्ठा. क्रमांक एफ 10-8/2015/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. कलेक्टर, जिला ..... (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7. श्रम कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)
8. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ0ग0)
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर निवेदन है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त इसकी 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव